## प्रेस के लिए सुचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 52/2021)

**<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>**

## भारतीय दूरसंचार विविनियामक प्राधिकरण

## भादूविप्रा ने "यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक रुपरेखा " पर दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 का मसौदा जारी किया है

नई दिल्ली, 24 नवंबर, 2021: भारतीय दूरसंचार विविनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक रुपरेखा " पर दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 का मसौदा जारी किया है।

2. भादूविप्रा ने इससे पहले दूरसंचार टैरिफ (56वां संशोधन) आदेश दिनांक 22 नवंबर 2013 को जारी किया था, जिसमें यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए अधिकतम शुल्क रु.1.50 प्रति यूएसएसडी सेशन था। तत्पश्चात्, नवंबर 2016 में, प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (61वां संशोधन) आदेश, 2016 के माध्यम से बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी-आधारित टैरिफ सीमा को रु. 1.50 से रु. 0.50 प्रति सेशन संशोधित किया।

3. भुगतानों के डिज़िटाइज़ेशन को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने की दृष्टि से डिज़िटाइज़ेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें यूएसएसडी शुल्कों को और युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया ताकि इसे बेहतर ढंग से अपनाया जा सके। सीडीडीपी पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा समर्थित किया गया है।

4. इस संबंध में दूरसंचार विभाग से डीएफएस के अनुरोध के बाद, प्राधिकरण ने विभिन्न पहलुओं से इस मुद्दे का विश्लेषण किया और यह जाना कि यूएसएसडी उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, यूएसएसडी शुल्क को युक्तिसंगत करना आवश्यक है। तदनुसार, प्राधिकरण यूएसएसडी की शेष मदों को अपरिवर्तित रखते हुए, मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवा के लिए प्रति यूएसएसडी सेशन "शून्य" शुल्क निर्धारित करके यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं के लिए रुपरेखा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।

5. मसौदा संशोधन आदेश ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस पर अपनी लिखित टिप्पणी श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवम आर्थिक विश्लेषण)। भादूविप्रा को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल आईडी: advfea2@trai.gov.in पर 8$^{th}$ दिसंबर, 2021 तक भेजें।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष क्र. +91-11-23234367/23235249 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा